## Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

## FORM 21C

(See rule 64)

## (For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 141-Ahore Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

SHRI CHHAGANSINGH (Name) VILL. POST. HARJI, TEH. AHORE (Address)<sup>1</sup> [sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

Date: 11-12-2018

Signatu RAJESH MEWARA RETURNING OFFICEN A Returning Office Conce

(S.D.M. AHORE)

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

141-आहोर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री छगनसिंह (नाम) मुकाम पोस्ट हरजी, तह. आहोर (पता)<sup>1</sup> [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए]

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जालोर

तारीख: 11.12. 2018

हस्ताक्षर(साजेक के जाड़ा) रिटर्निय किवारी विधारिहर्जिय अमिकम्म क्षेत्र आकोर (१४१) (उपखण्ड मानस्ट्रेट,आहोर)